न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 15/2022
जीसीएमएस न0 2022/691

1. कमली बाई पुत्री गोरीलाल जी जाति चमार (मेघवाल) आयु 38 साल निवासी गादोला हा०मु० पत्नि गेहरीलाल मेघवाल निवासी सरलाई तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज० ।
2. कृष्णा बाई पुत्री गोरीलाल जी जाति चमार (मेघवाल) आयु 42 साल निवासी गादोला हा०मु० पत्नि राजकुमार मेघवाल निवासी सरवानिया मसानी तह जावद जिला नीमच म०प्र०।
3. मु० भानी बाई पनि स्व० गोरीलाल जी जाति चमार (मेघवाल) आयु 58 साल निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज।
4. अरूण कुमार पिता गोरीलाल जी जाति चमार (मेघवाल) आयु 28 साल निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव, निम्बाहेडा राज०।
2. तरूण कुमार पिता स्व० गोरीलाल जी आयु 33 साल निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. सुशीला बाई पनि बन्शीलाल जी जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

विपक्षीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 642 प0ह0 गादोला स्वीकृत दिनांक 22.05.2018 तहसीलदार, निम्बाहेडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
नामान्तरकरण संख्या 642 निर्णय दिनांक 22.05.2018
अधिवक्ता अपीलाण्ट , श्री दिलीप सोनावा
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट, एक पक्षीय

निर्णय दिनांक 31.01.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षिप्त विवरण [illegible] ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान [illegible] अधिनियम [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय [illegible] स्व० गोरीलाल [illegible] जी चमार निवासी गादोला के नाम प[illegible] गादोला की खाता सं[illegible] की आराजी न0 990 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबवैल एंव खाता संख्या 123 की आराजी नं0 986 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे. मु. चाह, आराजी न0 991 1571 रकबा 10.5200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 05200 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रेकॉर्ड स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (चित्तौड़गढ़)

2. प्रार्थीगण के पिता व पति की मृत्यु के पश्चात पटवार हल्का गादोला द्वारा जो विरासत का इंतकाल खोला गया है उसमें प्रार्थीगण न. 1 से 4 का नाम गलत अंकित कर दिया है। उक्त विरासत के इंतकाल में प्रार्थी कमली बाई पुत्री स्व० गोरीलाल जी, कृष्णा बाई पुत्री स्व० गोरीलाल जी, भानी बाई पनि स्व० गोरीलाल जी व अरूण कुमार पिता स्व० गोरीलाल जी जाति चमार निवासी गादोला का नाम अंकित होना चाहिए था जिसकी जगह पटवार हल्का द्वारा उनके नाम कृष्णा पुत्र गोरीलाल, कमला पुत्र गोरीलाल, मानी बाई पत्नि स्व० गोरीलाल तथा अरुण कुमार की जगह पुरणमल पुत्र गोरीलाल चमार अंकित कर दिया है जो गलत है जिसे प्रार्थीगण इस इंतकाल के अपील के द्वारा खाते में सही नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 2 के अलावा स्व० गोरीलाल पिता भाना चमार के कोई अन्य वारिसान नही है। प्रार्थीगण उक्त जमीन का विक्रय पत्र कराने उप पंजीयक कार्यालय, निम्बाहेडा में दिनांक 05.12.2022 को आये तब प्रार्थीगण को पता चला कि उक्त खाते में प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित कर दिया गया है। जिसकी नकल पटवारी पटवार हल्का गादोला से प्राप्त की और इसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा यह अपील अविलम्ब श्रीमान् के समक्ष पेश की। विपक्षी संख्या 2 व 3 का नाम खाता संख्या 119 व 120 में अंकित होने से उसको विपक्षी बनाया गया है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्रार्थीगण न्यायालय से नही चाहते है, यह मात्र प्रोफार्मा पार्टी है। प्रार्थीगण व विपक्षी गादोला तह0 निम्बाहेडा के स्थायी निवासी होने से इस अपील की सुनवाई का आप श्रीमान् को श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट्स संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने पटवार हल्का गादोला तहसील निम्बाहेडा की प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 642 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है तथा अपील अपीलान्ट ने उक्त इंतकाल में दर्ज अपीलार्थियो के नाम प्रार्थीया कमली बाई पुत्री स्व० गोरीलाल जी, कृष्णा बाई पुत्री स्व० गोरीलाल जी, भानी बाई पनि स्व० गोरीलाल जी व अरूण कुमार पिता स्व० गोरीलाल जी जाति चमार निवासी गादोला का नाम अंकित होना चाहिए था जिसकी जगह प०ह० द्वारा उनके नाम कृष्णा पुत्र गोरीलाल, कमला पुत्र गोरीलाल, मानी बाई पत्नि स्व० गोरीलाल तथा अरुण कुमार की जगह पुरणमल पुत्र गोरीलाल चमार अंकित कर दिया है जो गलत है जिसे प्रार्थीगण इस इंतकाल के अपील के द्वारा खाते में सही दर्ज करवाने की मांग की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क प्रस्तुत किये की पटवार हल्का गादोला एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा इंतकाल 642 में गौरीलाल पिता भाना चमार के वारिसानो के नाम का जो इंतकाल स्वीकृत किया गया है वह बिना वारिसान जांच के स्वीकृत किया गया है जिसमे प्रार्थी अपीलान्ट अरूण कुमार पिता गौरीलाल चमार के बजाय पुरणमल का नाम अंकित कर दिया गया जो गलत अंकन किया गया है। पूरणमल नाम का कोई वारिस भाना के नहीं है जबकि

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

अरूण कुमार भाना का वारिसान है जिसका नाम उक्त इंतकाल में दर्ज होना रह गया है जिसे अपीलार्थी दर्ज कराना चाहता है। शेष अपीलार्थियो के नाम में शुद्धि करवाने हेतु निवेदन किया ।

6. हमने बहस पर मनन किया। रेस्पोण्डेंट नम्बर 1 द्वारा उक्त इंतकाल में प्रार्थीगणो के नाम में संशोधन किया जाना स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपील के साथ दस्तावेजो में आधार कार्ड की छायाप्रतिया, इंतकाल नम्बर 642 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 की प्रति पेश की जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी का संशोधन न्यायोचित है।

आदेश

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा ग्राम गादोला, पटवार हल्का, गादोला तहसील निम्बाहेड़ा में विरासत का निर्णित नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 22.05.2018 निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा मृतक खातेदार गौरीलाल पिता भाना चमार के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करवा पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही 1 माह में संपादित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

31/1/23

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested